संख्या: 1712 /कार्मिक–2/2003

प्रेषक,

नृप सिंह नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल शासन।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल उत्तरांचल।
4– समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक:18 दिसम्बर, 2003

विषयः–चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियॉ अंकित किये जाने, सत्यनिष्ठा प्रमाणित किये जाने, प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित किये जाने और उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के संबंध में समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि लोक सेवकों की वार्षिक प्रविष्टियों के प्रकरणों में इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को एकजाई करते हुए वार्षिक प्रविष्टियॉ अंकित करने, सत्यनिष्ठा प्रमाणित करने, प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने और उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है–

लोक सेवाओं एवं लोक सेवकों के लिये वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का महत्व

1 (1)– सरकारी सेवाओं की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां देने के नियमों का प्राविधान एम0जी0ओ0 के अध्याय 140 में है। एम0जी0ओ0 में प्रविष्टयों को देने की प्रकिया प्रविष्टियों को देने की सीमा अर्थात सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकने व प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित करने, उनके विरूद्ध प्रत्यावेदन देने और प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने की अवधि सीमा के प्रावधान हैं। इसके अलावा प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्यावेदन एवं सहबद्ध मामलों के निपटारों के लिए संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरूद्ध प्रत्योवदन एवं सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 2002 बनाई गई है।

(2)– राजकीय सेवाओं में तैनात सभी स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सेवा संबंधी समस्त मामलों के संदर्भ में उनकी चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियों का सबसे अधिक महत्व है। चरित्र पंजिकाओं में अंकित प्रविष्टियां किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तित्व, उसकी प्रतिभा, उपयुक्तता आदि के बारे में बैरोमीटर का कार्य करती है। अधिकारियों/ कर्मचारियों के समस्त कार्मिक व्यवस्था संबंधी मामलों यथा तैनाती प्रोन्नति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, विशेष प्रशिक्षण आदि प्रकरणों के निस्तारण हेतु चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियां ही एक ऐसा माध्यम है जिनके आधार पर समुचित निर्णय लिया जाना सम्भव होता है।

(3)– सेवा संवर्गों में अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग तथा कैडर मैनेजमेन्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रकरणों पर कारगर कार्यवाही हेतु चरित्र पंजिकाओं की प्रविष्टियों का महत्व निर्विवाद है।

(4)– प्रविष्टियों का मूल उद्देश्य संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के कार्य का एक निष्पक्ष और फलदायी (Fair & Objective Assessment) मूल्याकंन ही है, परन्तु प्रविष्टियों के अंकित करने के अधिकार को एक नियंत्रणात्मक तंत्र (Control mechanism) समझा जाने लगा है जिससे उसकी प्रतिभा उसका व्यक्तित्व वास्तविक रूप से उभरकर नहीं आ पाता है। होना यह चाहिए कि वार्षिक प्रविष्टियां अंकित करने की प्रक्रिया को (Performance Appraisal) के एक ऐसे स्वरूप/ माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाय जिससे कि :–

(i) संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के कार्य के निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ ही उसके कार्यों में सामयिक सुधार होता रहे।

(ii) अच्छे अधिकारियों/ कर्मचारियों का मनोबल बढ़े,

(iii) उन्हें प्रोत्साहन मिले,

(iv) अपरिपक्व अधिकारियों का समुचित मार्गदर्शन हो,

(v) भविष्य में आने वाली उपयुक्तता की ओर भी दिशा इंगित की जायें ताकि अधिकारी/ कर्मचारी के व्यक्तित्व में निरन्तर सुधार तथा उसे सुयोग्य बनाने के साथ ही विभिन्न संस्थागत सुधारों को भी सुनियोजित किया जा सकें और उनकी तैनातियों के समय ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके कि अमुक अधिकारी/ कर्मचारी किस कार्य विशेष के लिये अपेक्षाकृत

अच्छी प्रतिभा और योग्यता रखता है। लोकहित की उपलब्धियों के लिये वह कार्यवाही अत्यन्त ही अपरिहार्य हैं और इसे बहुत सावधानी पूर्वक निभाना चाहिए।

(vi) अयोग्य, अकुशल, अनिष्ठावान को नियमानुसार दण्डित भी किया जा सके।

(vii) लोक हित दिशा में भी यह कार्यवाही भली प्रकार सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि अधिकारियों की तैनाती, स्थायीकरण, पदोन्नति अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदि के बारे में न्याय संगत कार्यवाही की पुष्टि का अधिकार मिल सके। जो जैसा हो उसका वास्तविक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।

(viii) सरकारी कर्मचारियों का भविष्य मुख्यतः उनकी चरित्र पंजिकायों में अंकित प्रविष्टियों पर निर्विवाद निर्भर करता है। इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रविष्टियां निष्पक्ष भाव से लिखी जायं जिससे कर्मचारियों के कार्य का सही तथा पूरा मूल्यांकन हो सके। वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रविष्टियां समय से अंकित की जायं और प्रतिकूल प्रविष्टयों से संबंधित कर्मचारियों को अतिशीघ्र अवगत कराया जायं ताकि उनमें इंगित की गयी कमियों को वे सुधार सकें या यदि चाहें तो उनके विरूद्ध प्रत्यावेदन कर सकें। यद्यपि इस विषय पर समय–समय पर शासन द्वारा निदेश दिये जाते रहे हैं परन्तु व्यवहारिक रूप से उनका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। बहुधा अधिकारी वर्ष वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के विषय में तुरन्त प्रविष्टियां नहीं अंकित करते। लम्बी अवधि तक प्रतिकूल प्रविष्टयों से संबंधित अधिकारी को अवगत नहीं कराया जाता है और उनके विरूद्ध प्रतिवेदनों पर प्रायः वर्षों तक निर्णय नहीं लिया जाता है।

(ix) प्रविष्टि अंकित करने से लेकर प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदन पर निर्णय तक कर्मचारियों को हानि होने की सम्भवना रहती है, विशेषकर उस समय जब वे पदोन्नति पाने के पात्र होते हैं। अतएव ऐसी स्थिति का सुधार करने तथा वार्षिक प्रविष्टियों से संबंधित प्रत्येक कार्य में गति लाने के लिये शासन ने हर स्तर पर समय सारणी निर्धारित की है ताकि हर स्तर पर समयावधि के भीतर वार्षिक प्रविष्टियां चरित्र पंजिकाओं में अंकित हो सकें। यही नहीं वरन राज्य सरकार ने प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन